

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर**

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6/लेखा/RTIDF/डीएलबी/गैप सा./2015-16/2872

दिनांक : 26/02/2019

**—:स्वीकृति आदेश:—**

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की नवम् बैठक दिनांक 21.11.2016 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 21155 दिनांक 25.11.2016 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 9.4.6 के निर्णय के क्रम में झुंजरपुर के गैप सागर की रिंग रोड़ (सागवाड़ा रोड़ से शिवपुरा) के लिए नगर परिषद, झुंजरपुर को तृतीय एवं अन्तिम किश्त की राशि रूपये 119.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख रूपये मात्र) निम्नांकित बजट मद से उनके निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
(08) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
[01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	
93 - पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (राज्यनिधि)	119.00
<b>कुल योग</b>	<b>119.00</b>

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन जारी की गई है:-

01. निकाय राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
02. निकाय इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
03. निकाय योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय करेगा।
04. निकाय राशि रिलीज के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
05. निकाय इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पीडी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171900116 दिनांक 18.02.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6/लेखा/RTIDF/डीएलबी/गैप सा./2015-16/2873-88 दिनांक : 26/02/2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
03. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।

05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
06. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रूपये 119.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड उन्नीस लाख मात्र) आयुक्त नगर परिषद् डुंगरपुर के निजी निक्षेप खाता में राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करावे।
07. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, डुंगरपुर।
09. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
11. आयुक्त, नगर परिषद्, डुंगरपुर।
12. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अंक मिलान शाखा।

  
(एस.आर.मीणा)  
परियोजना निदेशक